Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Anganbari Revision Case No.-16/2023]
Niha Khatoon..Petitioner
Versus
The State of Bihar & Ors...Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	24.1.2026	**आदेश**	

यह आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा आंगनबाड़ी अभिलेख संख्या-06/2021 में दिनांक-23.6.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी सं.-04 आईशा खातुन की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

दिनांक-08.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी संख्या-04 (आईशा खातुन) का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद का Issue in question यह है कि कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल के अंतर्गत बेलवा पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-140 में सेविका पद हेतु चयनित अभ्यर्थी आईशा खातुन का चयन विधिसम्मत है अथवा नहीं। कागजातों के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-140, पंचायत-बेलवा, वार्ड सं.-09 के आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उभय पक्ष सहित अन्य आवेदकों द्वारा अपना आवेदन दिया गया। आम सभा दिनांक-20.8.2019 को हुआ। जिसमें चयन समिति द्वारा मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रहने के आलोक में विपक्षी आईशा खातुन का चयन किया गया। आवेदिका द्वारा अपने वाद पत्र में विपक्षी पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा एक ही वर्ष में दो अलग-अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्र यथा- मैट्रिक एवं फोकानिया का डिग्री प्राप्त किया गया है। तथा यह कि उक्त दोनों प्रमाण पत्र में विपक्षी का जन्म तिथि अलग-अलग अंकित है। एवं इस आधार पर विपक्षी का चयन विधिसम्मत नहीं है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि विपक्षी आईशा खातुन के द्वारा वर्ष-2015 में बिहार मदरसा बोर्ड, पटना के स्तर से फौकानिया का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसमें उनका जन्म तिथि 31.12.1999 अंकित है तथा वर्ष-2016 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के स्तर से मैट्रिक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसमें उनका जन्म तिथि 28.12.1999 अंकित है। विपक्षी आईशा खातुन के द्वारा दिनांक-21.1.2021 को इस आशय का शपथ पत्र दिया गया था कि उनके द्वारा प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा निर्गत मैट्रिक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है तथा भविष्य में उनके द्वारा किसी भी नियुक्ति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा निर्गत मैट्रिक प्रमाण पत्र का ही उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अलग-अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने से उनका आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन गलत साबित नहीं होता है। साथ ही सुनवाई में आवेदिका के स्तर से विपक्षी के उपरोक्त चयन

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

R.

24.1.2026

को विधिसम्मत नहीं माने जाने के संबंध में कोई संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन एवं संगत विभागीय प्रावधानों के अनुसार आदेश (23.6.2023) पारित किया गया है। जो विधिमान्य है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः तदनुसार इस पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

24/1/2026

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

24/1/2026

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया